



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129652

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21883 वर्ष 2026

कृष्णा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	उपेंद्र कुमार पुष्कर
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 761 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 69 भारतीय न्याय संहिता, पुलिस स्टेशन इगलास, जिला अलीगढ़ में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है, जो घटना के लगभग चार महीने बाद दर्ज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70(1), 127(2), 351(3), 115(2) और 140(1) का उल्लेख किया गया है। उनका तर्क है कि विवेचना के दौरान अन्य अभियुक्तों के नाम विवेचना से हटा दिए गए और केवल भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अंतर्गत ही आरोपपत्र दाखिल किया गया है। आगे यह भी बताया गया है कि पीड़िता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज अपने अभिकथन में आरोप लगाया है कि उसके पति द्वारा उसकी ससुराल से निकाले जाने के बाद, आवेदक और अन्य अभियुक्तों ने उसे वृंदावन के एक होटल में ले गए और अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि, यह कहानी झूठी पाई गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के पति के अभिकथन में कहा गया है कि आवेदक और पीड़िता फोन पर एक दूसरे से बात करते थे और आवेदक पीड़िता और अपने बेटे देव को मथुरा ले गया था। पीड़िता के पति का दावा है कि उन्होंने 05.08.2025 को पुलिस स्टेशन छावला, जिला द्वारका, नई दिल्ली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पीड़िता का अभिकथन, यह उसके पति के अभिकथन से मेल नहीं खाता। वह आगे तर्क देता है कि वैसे भी धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दिए गए अभिकथन में बताई गई बात विवेचना के दौरान संपुष्ट नहीं हुई। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत हेतु प्रार्थना का विरोध किया है, हालांकि, इस तथ्य का प्रतिवाद नहीं किया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

6. आवेदक 27.01.2026 से जेल में है। अभियोजन पक्ष का अभिकथन प्रथम दृष्टया असंगतियों से भरा प्रतीत होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रारंभिक संस्करण विवेचना के दौरान प्रमाणित नहीं हुआ और आरोप पत्र केवल धारा 69 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दायर किया गया है। पीड़िता विवाहित महिला है और कहा गया है कि उसके पति ने उसे तलाक नहीं दिया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित लगता है।

8. जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

9. उपरोक्त मामले अपराध में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक, **कृष्णा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदारों को, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और विचारण में सहयोग करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही इस वचनबंध के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. ऊपर किए गए संप्रेक्षण केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुणदोष पर एक राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

ए. पांडे